SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वी॰ सं॰–04 / प्रा०आ०(Hydraulic Platform)–01 / 2025–166 (स्वी०) / राँची दिनांक–23/09/2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा॰प्र॰से॰
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

विषयः– गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफार्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834 / – (उन्चालीस करोड़ अट्ठासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– स्वीकृत्यादेश संख्या–207(स्वी॰), दिनांक–22.03.2023 एवं आवंटनादेश संख्या–45(आ॰), दिनांक–22.03.2023

आदेश :– स्वीकृत।

उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–338 / बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये में)
मुख्यशीर्ष–2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष–02–संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि, विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय, 23–आपूर्ति एवं सामग्री (विपत्र कोड–39-S-2245-80-102-02-00-03-23)	39,88,02,834 / – (उन्चालीस करोड़ अट्ठासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये मात्र।

02. दिनांक–04.02.2025 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही का निर्णय संख्या–06 का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

"दिनांक–09.03.2023 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय–03 में अपर पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय पत्रांक–183 / लेखा दिनांक–09.02.2023 द्वारा हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन क्रय किये जाने हेतु कुल राशि ₹ 26,85,00,000 / – (छब्बीस करोड़ पचासी लाख) की अधियाचना के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–207(स्वी॰), दिनांक–22.03.2023 एवं आवंटनादेश संख्या–45(आ॰), दिनांक–22.03.2023 द्वारा आवंटन उपलब्ध करा दी गई है, उक्त अधियाचना का विवरण निम्नवत् है :–

D:\ANJU\Dushyant Sir\Sanction 2025-26.docx 47

स्वी० सं०–04 / प्रा०आ०(Hydraulic Platform)–01 / 2025–...166.....(स्वी०) / राँची दिनांक–23/09/2025

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	संख्या	राशि
1	2	3	4
01.	Hydraulic Rescue Platform (Liftmak-62 meter)	02	₹ 9,95,00,000 X 2= ₹19,90,00,000/-
02.	Hydraulic Rescue Platform (Liftmak-42 meter)	01	₹6,95,00,000/-
		कुल	₹ 26,85,00,000/-

इस क्रम में पुनः महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के कार्यालय पत्रांक–791 / लेखा, दिनांक–19.07.2024 द्वारा 01 (एक) अदद 60 मीटर ऊंचाई के Hydraulic Platform एवं 01 (एक) अदद 42 मीटर ऊंचाई के Hydraulic Platform के क्रय हेतु 39,88,02,834 / – (उन्चालीस करोड़ अट्ठासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये मात्र की नये सिरे से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु संशोधित अधियाचना समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	वाहन की संख्या	अनुमानित राशि
1	2	3	4
01.	Hydraulic Platform of 60 Meter Height	01	₹ 21,05,36,351/-
02.	Hydraulic Platform of 42 Meter Height	01	₹18,82,66,483/-
		कुल	₹ 39,88,02,834/-

पूर्व में प्रेषित अधियाचना एवं वर्त्तमान में समर्पित प्रस्ताव के आलोक में क्रय किये जाने वाले Hydraulic Platform के मूल्य में अन्तर को देखते हुए नये सिरे से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव की अनुशंसा करते हुए इस पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इस बात पर सहमति हुई कि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual संबंधी निर्गत अद्यतन अधिसूचना के आलोक में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।"

03. वाहनों का क्रय वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual संबंधी निर्गत अद्यतन अधिसूचना के आलोक में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा की जायेगी।

04. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा डोरण्डा कोषागार, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

05. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद–मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।

स्वी॰ सं॰—04 / प्रा०आ०(Hydraulic Platform)—01 / 2025—166 (स्वी०) / राँची दिनांक—23/09/2025

06. सभी भुगतान बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

07. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

08. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षान्त के पूर्व ऑन—लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

09. स्वीकृत राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19—A में महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. महालेखाकार से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय—समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. भुगतान से संबंधित अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक भुगतान की विवरणी उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।

14. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त / वित्त (वाणिज्यकर) विभाग / आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक—667, दिनांक—02.09.2025 के आलोक में दिनांक—02.09.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या—67 में स्वीकृति प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/9/25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

D:\ANJU\Dushyant Sir\Sanction 2025-26.docx 49

ज्ञापांकः—04 / प्रा०आ०(Hydraulic Platform)—01 / 2025—...166....(स्वी०) / राँची दिनांक—23/09/2025

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग / महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्रशाखा—12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु) आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/09/25

सरकार के सचिव।

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1347

पत्रांक संख्या :- 166(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 23/09/2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा
सचिव
टी. ए. डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची, झारखण्ड

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834/- (उन्चालीस करोड़ अट्ठासी लाख दो हजार आठ सौ चैंतीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
स्थापना व्यय

लघुशीर्ष	राशि
102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	☐39,88,02,834.00
कुलराशि :-	☐39,88,02,834.00

49.37.74.203

Run Date: 23/09/2025

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224580102020323	02 - संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि	23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी AJAY LINDA (DRNFNB001), DIG.HOME GUARDS & FIRE SERVICE होंगे तथा राशि □39,88,02,834.00/- की निकासी Doranda कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

23/09/25

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से